सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांकः 788/सो.आ.नि.– 312/2016

दिनाँकः 18 फरवरी, 2016

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः सोशल आडिट ग्रामसभा सम्पन्न होने के 5 दिनों के अन्दर सोशल आडिट प्रतिवेदन को भारत सरकार तथा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में आपका ध्यान भारत सरकार के निर्देश की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें कहा गया है कि सोशल आडिट ग्रामसभा संपन्न होने के 5 दिनों के अंतर्गत सोशल आडिट प्रतिवेदन को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। "सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ" को राज्य सरकार की वेबसाइट पर साथ ही साथ अपलोड किया जाना है।

2. सोशल आडिट प्रतिवेदनों को अपलोड करने की कार्यवाही DSAC द्वारा यथावांछित BSACs के सहयोग से गत वर्षों की भांति सामान्यतः सफलतापूर्वक किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में भी कतिपय जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में अपलोड की कार्यवाही संतोषजनक प्रगति पर है, किन्तु कतिपय जनपदों में इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है।

3. ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013–14 और 2014–15 में सोशल आडिट प्रतिवदेनों को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने का व्यवहारिक अनुभव DSACs को प्राप्त हो चुका है। दीन दयाल राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में प्रशिक्षण के दौरान इस संबंध में उनके द्वारा किए गए प्रेच्छाओं का भी समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में समय से प्रतिवेदनों को अपलोड करने के लिए प्रति प्रतिवेदन रु0 50/– की प्रोत्साहन राशि भी अनुमन्य की गई है। यदि किसी DSAC को प्रतिवेदन अपलोड करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो वह जिला विकास अधिकारी की अनुमति से अन्यत्र सुरक्षित स्रोत से भी प्रतिवेदन को भारत सरकार/निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कार्य करा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थिति में सुनिश्चित करें कि सोशल आडिट ग्रामसभा सम्पन्न होने के 5 दिन के अंदर सोशल आडिट प्रतिवेदनों को भारत सरकार/निदेशालय की वेबसाइट पर अवश्य ही अपलोड कर दिया जाय।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

Arun 2016

पत्रांकः— 788 (1)/सो0आ0नि0— 312 /2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, (गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बस्ती, मऊ तथा कासगंज को छोड़कर) उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

(राजवर्धन)
निदेशक।